न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 149/2024

जी0सी0एम0एस0 :–2024/439

1.जमनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

2.डालूराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

आवेदकगण....

बनाम

1.कैलाश पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

2.सरिता पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

3.सुलोचना पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

अनावेदकगण.....

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128, भू– राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 26/11/2025

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो आवेदक संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि है तथा चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो कि आवेदक संख्या 2 व अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 अराजीयात पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के बाबत् खातेदारी संबधी कोई विवाद नहीं है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने के कारण आवेदकगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार नवलगढ के यहां आवेदन किया था, जिस पर पटवारी हल्का परसरामपुरा द्वारा उपर वर्णित भूमि का सीमाज्ञान किया गया है जिससे आवेदकगण पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट सलंग्न है। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु चार दिवारी/तारबंदी करवाना चाहता है जिससे आवेदकगण की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके इसलिए आवेदकगण उक्त अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। अनावेदकगण संख्या 4 की तरफ से राजकीय पैरोकार उपस्थित ।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो आवेदक संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि है तथा चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो कि आवेदक संख्या 2 व अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 अराजीयात पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के बाबत् खातेदारी संबधी कोई विवाद नहीं है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। आवेदकगण फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 से पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट सलंग्न है। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु चार दिवारी/तारबंदी करवाना चाहता है जिससे आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके इसलिए आवेदकगण उक्त अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की सीमाओं पर दिनांक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन पश्चात पाते है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर अवस्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 को किया गया। आवेदकगण उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट से पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त वर्णित भूमि के आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सीमाज्ञान के अनुसार ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनू)

3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 के मुताबिक पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त विवेचन से जाहिर होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3815/2897, 3816/2898, 3817/2953, 3818/2954, 3819/2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2897, 2898, 2953, 2954, 2955 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.03.2024 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ